परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ से कोट–बागी मोटर मार्ग के किमी० 7.00 से 10.00 कोट गाँव तक मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 3.00 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (कुल वन भूमि 0.398 है०)।

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामिण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामिण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थयी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में250 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया जा सकता है। उक्त मोटर मार्ग कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाघ्यक्ष,लो०नि०वि० "नियोजन वर्ग" उत्तराखण्ड़ देहरादून के पत्रांकः –1718/01/ याता(क) –उ० /2013 दिनांक–28.09.2013 द्वारा पूर्व कार्यादायी संस्था निर्माण खण्ड लो०नि०वि० चिन्यालीसौड से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हस्तान्तरण किया गया है एवं सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या : 1414/पी3–14/यू0आर0डी0ए0/14 दिनांक 07/11/2014 उत्तराखंड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट कोट की कुल आवादी 338 अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषी भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषी एवं पशुपालन है परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से यहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगें, वहीं सरकार की विकास योजनायें सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है इस मार्ग के समरेखण में नाप भूमि 2.187 है0, सिविल सोयम भूमि 0.136 है0 वन पंचायत भूमि 0.00 है0 के अतिरिक्त आरक्षित वन भूमि 0.262 है0 प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है,वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित किया जा रहा है,तथा भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा समरेखण को मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी,पर्यावरण एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है (प्रतिलिपि संलग्न है)।

अतः 3 किमी0 लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 7 मीटर चौड़ई में आने वाली सिविल सोयम भूमि 0.136 है0 एवं आरक्षित वन भूमि 0.262 है0 प्रभावित हो रही प्रधानमन्त्री ग्रमिण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है। अतः उक्त अनुसार इस मार्ग के निर्माण में प्रभावित वन भूमि प्रस्ताव 0.398 है0 की स्वीकृति हेतु प्रषित किया जा रहा है, वन भूमि की स्वीकृति उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,उत्तरकाशी	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,उत्तरकाशी	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,उत्तरकाशी